राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांक एफ 7(185)ग्रावि/अनु–8/2012 जयपुर, दिनांक 06/07/2016

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सिविल सोसाईटी तथा विभिन्न गैरसरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 22.06.2016 को सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थित अधिकारीगण एवं सिविल सोसाईटी तथा विभिन्न गैरसरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधियों की सूची परिशिष्ट–अ पर संलग्न है। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई:–

1. **गृह, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा विभाग**
   1 महिला अधिकारिता के संबंध में गठित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए। वर्तमान में इसकी बैठकें आयोजित नहीं की जा रही है।
   2 महिला दुराचार के प्रकरण में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान हो एवं भुगतान प्रकिया पारदर्शी बनायी जाए।
   3 गर्भवती महिलाओं के शिशु लिंग परिक्षण को रोका जाये।

2. **आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग**
   - राज्य में सुखा प्रभावित क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है जोकि 15 जुलाई तक लागू रहेगा। इस समय अवधी को आगे बढाये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

3. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**
   1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 10 लाख लाभार्थियों को पैंशन भुगतान किया जा रहा है इसमें से 3 लाख पैंशनधारियों के बैंक खातों में समस्या होने से उनको भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। अतः इन लाभार्थियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पैंशन का भुगतान बैंकिंग कोरस्पोंडेंट (BC) के माध्यम से डोर स्टेप पर कराया जाये।
   2 सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन का हकदार बनाया जाए।
   3 जहां पर बैंक खाते सही नहीं है वहां पर मनीऑर्डर के माध्यम से पैंशन का भुगतान किया जाए।
   4 जिन पैंशनधारियों का नाम लाभार्थी की सूची में से काटा जाता है, उनके संबंध में आदेश जारी किये जाए एवं उन आदेशों पर अपील का प्रावधान किया जाना चाहिए।

5 घुमन्तु/कलाकार जातियों की समस्याओं को अलग से देखे जाने के लिए राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हो।

6 जहां पर ये लोग बसे हुए है उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाए। इन जातियों के परिवारों में मृत्यु होने पर, श्मशान/कब्रिस्तान का उपयोग, अन्य जातियों द्वारा नहीं करने दिया जाता। अतः इन्हें श्मशान/कब्रिस्तान की भूमि उपलब्ध करायी जाए।

7 भीलवाडा में बंजारा बस्ती को जलाया गया है उनको अभी तक पूर्ण पुनर्वास नहीं किया गया है। अतः दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उजाड़े गये परिवारों को जमीनों के पट्टे दिये जाए एवं उनको वापस बसाने में मदद की जाए।

8 नागौर जिले में कलाकार/दस्तकार जाति के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा जाता है, जिससे उनकी समस्यओं को समझकर मौके पर निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित कराया जाए।

9 घुमन्तु/कलाकार जातियों का अलग से सर्वे करवाया जाए।

10 दलित समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु ब्लॉक स्तर पर कमेटी गठन का प्रावधान है, लेकिन इन कमेटियों का गठन नहीं किया गया है जिस कारण ब्लॉक स्तर पर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है अतः ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाए।

11 सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता है लेकिन उनका उपयोग सही नहीं हो रहा है, केवल नोसनल राशि दर्शायी जाती है।

12 दलित उत्पीडन के मामलों को अलग तरह से निस्तारित किया जाना चाहिए। इन विषयों को डील करने वाले अधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिये जाने चाहिएं तथा थानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाऐ।

13 जोगी जाति के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे है। क्षेत्र अधिकारियों में असमन्जस की स्थिति होने के कारण इन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते है। अतः इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया जाए।

4. <u>खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</u>

1 राशन वितरण के संबंध में समस्याओं के निस्तारण के लिए संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा विशेष कार्यवाही की जा रही है इसी तरह की कार्यवाही सभी जिलों में लागू की जाए।

2 राशन वितरण के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3 बांरा जिले में सहरिया जनजाति के राशन कार्डधारियों को राशन नहीं दिया जा रहा है अतः समस्या का निराकरण किया जाए।

5. <u>महात्मा गांधी नरेगा</u>

1 <u>सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय</u> शीघ्र स्थापित किया जाये। महिला एवं <u>बुजुर्गों</u> के लिए अलग से वर्क टास्क निर्धारित करायी जाए।

2 योजना में जे0सी0बी0 से कार्य करने की शिकायतों के संबंध में विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 महात्मा गांधी नरेगा योजना में देरी से भुगतान की क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण एमआईएस पर डाला जाए।

6. <u>वन एवं पर्यावरण विभाग</u>

1 व्यक्तिगत वन अधिकार के तहत दिये गये 3500 पट्टों में कम जमीन का कम इन्द्राज किया गया। सैन्च्युरी एरिया से विस्थापित लोगों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए।

2 कम्यूनिटी–राईट के समस्त दावों का विभाग द्वारा अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है।

3 व्यक्तिगत अधिकार पत्र एवं कम्यूनिटी राईट के संबंध में एमआईएस प्रारम्भ किया जाए।

4 वन अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यकतानुसार कानूनों में संशोधन कराया जाए।

7. <u>शिक्षा विभाग</u>

1 राज्य में लगभग 10000 टीचर की रिक्तियॉ है जिन्हें तुरंत प्रभाव से भरा जाए। विद्यालयों के एकीकरण में राईट टू एज्यूकेशन (RTE) के प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जिससे कई मामलों में बच्चों को 4–5 कि0मी0 दूर स्कूलों में जाना पड रहा है।

2 राज्य सरकार द्वारा एक पारदर्शी स्थानान्तरण पालिसी शीघ्र ही बनायी जाए।

3 प्रारम्भिक एवं सैकण्डरी एज्यूकेशन की कॉमन एमआईएस बनायी जाये।

4 शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान का शिकायत निस्तारण व्यवस्था बनायी जाए। प्रत्येक विद्यालय में एक महिला टीचर की नियुक्ति की जाए।

5 पाठ्यकम की पुस्तकें वर्तमान व सही संदर्भों में लिखी जाए।

8. <u>जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग</u>

- पैसा (PESA) कानून के तहत वार्ड सभा समाप्त कर ग्राम सभा का आयोजन कराया जाए।

9. <u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u>

- सिलिकोसिस बीमारी का सर्टिफिकेट जारी करने एवं बीमारी के ईलाज का अलग से एमआईएस की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण रोका जाए। चिकित्सा विभाग के विभिन्न सेवाओं की एमआईएस बनायी जाए।

10. <u>खनन विभाग</u>

1 खनन विभाग द्वारा किये गये माईंस आवंटन की पंचायतवार सूचना उपलब्ध कराये जाये तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित माईन्सों का विवरण अंकित किया जाए।

2 खनन विभाग द्वारा शिकायतों के निस्तारण की पूरी प्रकिया स्थापित की जाए।

3 मिनरल की ढुलाई के कारण सड़कें टूट जाती है उसकी रिपेयर माईन्स के मालिकों से करायी जाए।

4 माईनिंग के संबंध में होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया जाए।

5 मिनरल को धोने के लिए स्वच्छ जल के स्तेमाल पर पाबन्धी लगायी जाए एवं इस उपयोग हेतु पुनः चक्रित जल का उपयोग किया जाए।

11. <u>महिला एवं बाल विकास</u>

1 महिला पर हिंसा को रोकने के लिए विभिनन विभागों में समन्वय नहीं होने के कारण महिला हिंसा के प्रकरण बढ़ रहे है। इसके लिए एक स्टेंडिंग कमेटी का गठन किया जाए। महिला शिकायत निराकरण कमेटी का प्रावधान है लेकिन इसे गठित नहीं किया गया है। यह जिला व पंचायत स्तर पर भी गठित करना सुनिश्चित किया जाए।

2 महिला के उत्पीडन उपरान्त पिडिता को मिलने वाले मुआवजे की योजना सरल होनी चाहिए तथा थानों को इसके बारे में सही जानकारी हो जिससे पिडिता को सही एवं शीघ्र सहायता मिल सके।

3 राज्य सरकार द्वारा घोषित महिला नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा रहा है। महिला उत्पीडन के मामले में क्षतिपूर्ति बोर्ड नहीं है अतः बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

4 शराब की जिन दुकानों पर महिलाओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।

5 सरकारी कार्यालय, विद्यालय व अन्य क्षेत्र के विभागों में महिला शौचालय बनाये जाने चाहिए।

12. श्रम विभाग

- विभिन्न योजनाओं में शामिल होने व क्षतिपूर्ति आदि लेने पर सत्यापन प्रकिया बहुत जटिल है। अतः इस प्रकिया को सरल बनाते हुए पटवारी व ग्राम सेवक से सत्यापन कराया जा सकता है।

13. <u>सूचना का अधिकार</u>

1 सूचना के अधिकार के संबंध में गठित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक लम्बे समय से नहीं हो रही है इस कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित करायी जाए।

2 किसी व्यक्ति द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगे जाने पर यदि उसे धमकी दी जाती है तो उसकी विशेष जांच की जाए।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सी.एल.वर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारभिक शिक्षा विभाग
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, खान विभाग।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि विभाग।
18. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
19. श्री निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन, गांव–देवडूगरी, पोस्ट बरार, जिला राजसमंद, राज0 को भेजकर लेख है कि बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों को भी कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराने का श्रम करें।
20. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वैबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड करने के संबंध में।
21. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव (मोएवंमू)